(164)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री विजय बहादुर सिंह उम्र 52 वर्ष निवासी राजेन्द्र नगर वार्ड क्र0 24 सतना तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0---निगराकार

R5487-III/16

बनाम

रामकुशल अग्निहोत्री तनय श्री रामशिरोमणि अग्निहोत्री सा0 मझगवां तह0 नागौद जिला सतना म0प्र0---------------------------------गैरनिगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1949 विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल नागौद जिला सतना म0प्र0 प्रकरण क्र0 24 अ 12. 15.16 आदेश दिनांक23.06.2016

निगराकार निम्न प्रकार निगरानी प्रस्तुत कर वियन करती है।

<u>प्रमाण के संदर्भ मे तथ्य</u>

प्रकरण के संक्षेप मे तथा इस प्रकार है कि निगराकार राजेन्द्र नगर सतना की निवासी है तथा मौजा मझगवां की आरा0नं0 521/2 रकवा 2.612 हे0 की क्रय के आधार पर भूस्वामी है तथा गैर निगराकार इसी आराजी से लगी 521/1/2 का भूस्वामी है जो आवेदन की पैत्रक आराजी है। उसे आराजी कब व कैसे प्राप्त हुई लेख नही किया है। गैर निगराकार अपनी आराजी का सीमांकन आवेदन दिया इसके पूर्व निगराकार की आराजी का सीमांकन किया जा चुका था, किन्तु उक्त सीमांकन के विरूद्ध निगराकार को बिना सूचना दिये गैरनिगराकार की आराजी 521/1/2 का सीमांकन बिना किसी आधार आराजी बिन्दु का निर्धारित किये सीमांकन कर दिनांक 23.06.2016 को प्रमाणित कर दिया गया है जिसके विरूद्ध निम्न आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनय करती है।

क्रमशः---2 सुनीता सिंह

(164)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 5487-दो/16 जिला सतना

सुनीता सिंह ....विरूद्ध... रामकुशल अग्निहोत्री

1	2	3
19-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री असद उल्ला सिद्दीकी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त नागोद तहसील नागोद के प्रकरण क्रमांक 24/अ12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 23-6-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14-3-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	